



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

No. 47]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

## बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

### अधिसूचना

हैदराबाद, 16 फरवरी, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पूंजी) विनियम, 2013

फा. सं. आई आर डी ए/रेग्यु/12/70/2013.—प्राधिकरण, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 के 41), बीमा अधिनियम 6ए और वर्गों 114A के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श में एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- इन विनियमों को आई आर डी ए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पूंजी) विनियम, 2013 बुलाया जाएगा।
- वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- 'अधिनियम' का अभिप्राय है, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4);
- आवेदक कंपनी का अभिप्राय है एक साधारण बीमा कंपनी जोकि भारतीय बीमा कंपनी की परिभाषा के भीतर आती है;
- प्राधिकरण का अभिप्राय है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जोकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के तहत स्थापित है,
- 'आवेदन' का अभिप्राय है आईआरडीए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पूंजी) विनियम, 2013 के तहत प्राधिकरण को प्रस्तुत;
- 'निगमित संचालन दिशानिर्देश' से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से है. आईआरडीए / एफ और ए/ सीआईआर /025/2009-10 दिनांक 5 अगस्त 2009 के रूप में संशोधन और समय-समय पर संशोधित;

- च. 'व्यापार के प्रारंभ होने की तिथि' का अभिप्राय है आईआरडीए के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र का अनुदान (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम 2000 की तारीख,
- छ. 'अतिरिक्त' शेयरधारिता का अभिप्राय शेयरधारिता की सीमा से अधिक है और ऊपर साधन हिस्सेदारी बीमा अधिनियम की धारा 6एए के तहत निर्धारित;
- ज. 'बीमा कंपनी' का अभिप्राय है 'इंडियन इंश्योरेंस कंपनी' के रूप में एक बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 (7) में परिभाषित;
- झ. 'सेबी' का अभिप्राय भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) से है,
- ञ. 'आईसीडीआर विनियम' का अभिप्राय सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अंक) विनियम, 2009 के रूप में संशोधन से है जोकि समय - समय पर संशोधित किये गये हैं;
- ट. 'प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों' में शामिल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों तक सीमित नहीं है जैसा कि आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में परिभाषित किया गया है;
- ठ. 'प्रस्ताव दस्तावेज' का अभिप्राय एक दस्तावेज है जोकि आईसीडीआर विनियमों में परिभाषित किया गया है,
- ड. एक आवेदक कंपनी के प्रमोटर' का अभिप्राय प्रवर्तक के रूप में है जोकि आईआरडीए के 2 विनियमन (एम) (पूँजी की जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी) विनियम, 2011 में परिभाषित किया गया है,
- ढ. 'प्रस्ताव' का अभिप्राय आवेदक कंपनी द्वारा प्राधिकरण को फॉर्म 'ए' के रूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र से है जोकि प्राधिकरण द्वारा औपचारिक अनुमोदन के लिये इन विनियमों के साथ संलग्न है।

सभी शब्द व भाव जोकि यहाँ प्रयोग किये गये हैं तथा इन विनियमों में पारिभाषित नहीं किये गये हैं परंतु बीमा अधिनियम 1938, (1938 का 4) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में पारिभाषित है, का अर्थ इन विनियमों में दी गई परिभाषा के समान होगा।

### 3. प्राधिकरण द्वारा पूर्व लिखित अनुमोदन:

कोई भी साधारण बीमा कंपनी आईसीडीआर विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट रूप में विशिष्ट पूर्व लिखित अनुमोदन के अभाव में सेबी को शेयर के सार्वजनिक निर्गमन तथा किसी अन्य अनुवर्ती निर्गमन के लिये के लिये संपर्क नहीं करेगी, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए।

### 4. तरीके और प्रक्रिया:

आवेदक कंपनी के प्रमोटरों के रूप में की धारा अधिनियम 1938 और / 6एए में निर्धारित या अन्यथा आईसीडीआर विनियमों के तहत धन जुटाने, निम्न विकल्पों में से किसी के माध्यम से *अन्य बातों के साथ - साथ* द्वारा अतिरिक्त हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए यह विनियम लागू होंगे:

- क. आईसीडीआर के विनियमों के तहत पूँजी संबंधित मामले, और
- ख. एक या अधिक आईसीडीआर विनियमों के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से प्रमोटरों की इक्विटी के विनिवेश.

प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रपत्र 'ए' इन नियमों का हिस्सा बनाने में दायर किया जाएगा.

बशर्ते कि कोई जारी करने और एक बीमा कंपनी द्वारा पूंजी के आवंटन के रूप में पूरी तरह पेड अप इक्विटी शेयरों की तुलना में किसी भी अन्य रूप में किया जाएगा।

परंतु आगे कहा कि पूंजी के किसी भी मुद्दे के अलावा अन्य के रूप में निर्दिष्ट (क) और (ख) ऊपर अनुभाग 6ए (4) (ख) / (iii) के तहत निर्धारित बीमा अधिनियम 1938 के रूप में निर्दिष्ट सीमा से परे शेयरों की किसी भी हस्तांतरण सहित, प्राधिकरण की विशिष्ट पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस तरह के अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत संचालित किये जाएंगे।

#### 5. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति:

- i. एक आवेदक कंपनी के लिए इन नियमों के मामले में सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से शेयर पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव कंपनी व्यापार के आवेदक कंपनी या ऐसे अन्य अवधि के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के द्वारा प्रारंभ की तारीख से 10 साल के पूरा होने पर ही कर सकते हैं.
- ii. प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुमोदन पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की वैधता अवधि होगा, जिसके अंतर्गत आवेदक कंपनी सेबी के साथ आईसीडीआर विनियमों के तहत ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करेगा.
- iii. प्राधिकरण द्वारा किसी भी अनुमोदन जोकि अधिनियमों के अनुसार हो, आवेदक कंपनी द्वारा किसी भी प्रस्तावित दस्तावेज, जिसके तथ्य बोल्ड अक्षरों में किसी भी प्रस्ताव में अनावृत होंगे किसी भी रूप में कार्य नहीं करेगा या अभ्यावेदन की वैधता के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- iv. प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह अपनी मंजूरी नहीं दे, यदि उसकी राय में, (i) आवेदक कंपनी विनियामक ढांचे के अनुरूप नहीं है, या (ii) जहां यह पॉलिसीधारकों के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है, या (iii) देश में बीमा कारोबार के हित में नहीं हो सकता है.

#### 6. अनुमोदन के लिए विचार करने के लिए मानदंड:

प्राधिकरण आमतौर पर आवेदक कंपनी की कुल वित्तीय स्थिति पर विचार करेगा; उसका विनियामक अभिलेख; पूंजी के निर्गमन / पेशकश का प्रस्ताव; पूंजी संरचना पोस्ट मुद्दा / पूंजी की पेशकश; तथा वह उद्देश्य जिनके कारण शेयर पूंजी में वृद्धि की पेशकश की गई है, प्रयुक्त होंगे। विशेषरूप से, दूसरों के बीच प्राधिकरण निम्नलिखित मानकों पर विचार करेगा:

- (i) वह अवधि जिसके लिए आवेदक सामान्य बीमा कारोबार में है;
- (ii) आवेदक कंपनी द्वारा नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का इतिहास;
- (iii) निर्धारित विनियामक ऋणशोधन क्षमता की सीमा के रखरखाव के लिये जोकि पूर्ववर्ती छ: तिमाहियाँ जोकि आवेदन जमा करने के उपरांत तिमाहि के तुरंत पहले हो;
- (iv) इरडा के परिपत्र सं आईआरडीए / एफ एंड आई / सीआईआर / एफ एंड A/012/01/2010 दिनांक 28 जनवरी, 2010 के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ अनुपालन जोकि समय - समय पर संशोधित किये गये हैं;
- (v) निगमित संचालन दिशानिर्देश का अनुपालन; तथा
- (vi) पॉलिसीधारक सुरक्षा के लिये उसके अभिलेख.

#### 7. अनुमोदन के लिए शर्तें

जबकि इसके अनुमोदन के अनुसार, प्राधिकरण नियत कर सकता है:

- (i) किस हद तक प्रवर्तक अपनी शेयर होल्डिंग को कमजोर करेगा;
- (ii) अधिकतम सदस्यता जो विदेशी निवेशकों के किसी भी वर्ग के लिए आवंटित किया जा सकता है;

(iii) शेयरों के आवंटन की तिथि से प्रमोटरों के लिए न्यूनतम लॉक-इन अवधि। लॉक-इन अवधि निष्पक्ष रूप से आईसीडीआर विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार होगी

(iv) वह प्रकटीकरण जोकि विवरण पत्रिका/ प्रस्ताव दस्तावेजों में उल्लेखित हैं, इस प्रकार के प्रकटीकरणों के सहित जोकि सेबी द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं, जो इन विनियमों में संलग्नक - 1 में उल्लेखित प्रकटीकरणों को भी नीहित कर सकते हैं।

#### 8. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए समय - सीमा:

प्राधिकरण आवेदनपत्र पर यथाशीघ्र प्रक्रिया व अनुमोदन प्रदत्त करेगा तथा आवेदक कंपनी प्रश्नों और आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी।

#### फार्म ए

अध्यक्ष

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

परिश्रम भवन

3<sup>री</sup> मंजिल,

बशीर बाग

हैदराबाद -500 004

प्रिय महोदय,

आईआरडीए (पूँजी की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जारी) विनियम, 2013 में अनुमोदन के लिए आवेदन आईआरडीए विनियम (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पूँजी) के संदर्भ में, 2013, एम / एस ..... (पंजीकरण सं..... दिनांक .....) जो पूरा कर लिया है आपरेशन के ..... वर्ष, इसके द्वारा सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अंक) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम) के तहत पूँजी के मुद्दे के लिए प्राधिकरण के लिए लागू होता है।

2. विभिन्न पात्रता मापदंडों विनियमों के विवरण जोकि अधिनियमों के विनियम 6 के तहत हैं, अनेकसी के रूप में उन आवश्यक अनुलग्नकों सहित प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जोकि निम्नलिखित हैं:

i)

ii)

iii)

प्राधिकरण

से

स्वीकृति

के

उपरांत

..... (बीमा कंपनी) भारत के आईसीडीआर विनियमों के तहत प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को आवश्यकताओं के अनुसार एक वर्ष की अवधि में फाइल करेगी तथा उल्लेखित विनियमों के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

स्थान:

भवदीय

तिथि:

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम

(बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

पदनाम

**आवेदन करने की एनेक्सी**

1. आवेदक कंपनी का नाम:
2. पंजीकरण की संख्या और तारीख:
3. नवीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि:
4. व्यापार के शुरू होने की तारीख से वर्ष की संख्या:
5. बीमा अधिनियम, 1938 के तहत प्रबंधन आवश्यकताओं के खर्च, और पिछले पांच वर्षों के लिए इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ अनुपालन की स्थिति:

क्र. संख्या.	वित्तीय वर्ष (पिछले 1)	अनुमति प्राप्त व्यय (करोड़ रुपए में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)	अनुपालन स्थिति
1				
2				
3				
4				
5				

6. पिछले पांच वर्षों के लिए बीमाकर्ता के शुद्ध लाभ, प्रदत्त पूंजी तथा का विवरण:

क्र. संख्या.	वित्तीय वर्ष (पिछले 1)	शुद्ध लाभ / हानि (करोड़ रुपए में)	प्रदत्त पूंजी (करोड़ रुपए में)	निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)
1				
2				
3				
4				
5				

7. समाप्त हो गया (पिछले छह तिमाहियों के लिए) तिमाही के लिए ऋण शोधन क्षमता की स्थिति:

क्र. संख्या.	समाप्त तिमाही (अंतिम प्रथम)	ऋण शोधन क्षमता स्थिति
1		
2		
3		

4		
5		
6		

8. प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की पुष्टि:

मैसर्स..... एतद्वारा यह पुष्टि करता है कि यह प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप है जोकि आईआरडीए के परिपत्र सं आईआरडीए / एफ एंड आई / सीआईआर / एफ एंड ए/012/01/2010 दिनांक 28 जनवरी, 2010 में अधिदेशित हैं जोकि समय - समय पर संशोधित किये जाते हैं।

(विचलन का विवरण, यदि कोई हो, बाहर लाया जाना चाहिए).

9. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देशों के साथ अनुपालन की पुष्टि:

मैसर्स ..... एतद्वारा यह पुष्टि करता है कि यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार है जोकि आईआरडीए के परिपत्र सं. आईआरडीए / एफ एंड ए/ सीआईआर /025/2009-10 दिनांक 5 अगस्त 2009 में उल्लेखित हैं.

(विचलन का विवरण, यदि कोई हो, बाहर लाया जाना चाहिए).

10. विनियामक कार्रवाई का विवरण जोकि बीमा कंपनी के खिलाफ आईआरडीए द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्रारंभ किये गये हैं; निम्नानुसार हैं:

11. कंपनी पॉलिसीधारक संरक्षण और पिछले पांच वर्षों के लिए पॉलिसीधारक की शिकायतों के लम्बित रिकॉर्ड का विवरण:

शिकायत निपटान							
क्र. संख्या.	ब्यारी	उद्घाटन शेष *	परिवर्धन	शिकायतें हल			लंबित शिकायतें
				पूरी तरह से स्वीकृत	आंशिक रूप से स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतें						
क.	बिक्री संबंधित						
ख.	पॉलिसी प्रशासन संबंधित						
ग.	बीमा पॉलिसी आवरण - संबंधित						



	अस्वी कार दावे																		
5	वर्ष के अन्त में बकाया दावे	आयु अनुसार बकाया दावों का विवरण																	
	1 माह से कम																		
	1 माह से 3 माह																		
	3 माह से अधिक 6 माह से कम																		
	6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम																		
	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम																		
	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से कम																		
	5 वर्ष व अधिक																		
	कुल																		

\*नोट: दावों की संख्या व बकाया राशि दोनों के विवरण दें (रूपया लाख में)

13. पूर्व और बाद में अदा किये गये शेयरहोल्डिंग पैटर्न के विवरण निम्नानुसार हैं:



मौजूदा शेयरहोल्डिंग पैटर्न					प्रस्तावित / बिक्री जारी करने के लिए प्रस्ताव		प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग पैटर्न		
क्र. संख्या.	नाम	स्थिति (भारतीय / विदेशी)	आयोजित शेयरों की संख्या	प्रति आयोजित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	स्थिति (भारतीय / विदेशी)	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.									
2.									
....									
....									
....									
....	आईसीडीआर विनियमों के तहत जारी								

\* नोट: विवरण दावों और बकाया राशि (लाख रुपए) के दोनों नंबर के लिए प्रस्तुत की.

14./ ..... तिथि को आयोजित बोर्ड की बैठक के अपेक्षित निष्कर्ष ..... पूंजी / बिक्री के लिए प्रस्ताव जारी करने के रूप में आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित अनुमोदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित.

इस बात की पुष्टि की जाती है कि फॉर्म ए तथा उसके अनुलग्नकों में दी गई सूचना सही व पूर्ण है तथा मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार है तथा कुछ भी नहीं छुपाया या दबाया नहीं गया है.

स्थान:

भवदीय

तिथि:

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम

(बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

पदनाम

658 45/13-3

**अनुलग्नक 1****आवेदक साधारण बीमा कंपनी के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अंक) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम) में पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे के लिए रूपरेखा बनाई है। आईसीडीआर विनियमों की आठवीं अनुसूची के भाग 'ए' में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और प्रॉस्पेक्टस में प्रकटीकरण आवश्यकताएँ उल्लेखित हैं।

एक आवेदक कंपनी पूँजी जारी करने/ बिक्री के लिए इन विनियमों के अंतर्गत प्रस्ताव रखने के लिये प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित खुलासे करेगी। यह खुलासे सेबी के आईसीडीआर विनियमों के अतिरिक्त होंगे तथा यह सेबी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को न्यून नहीं करेंगे।

- क. बीमा कंपनियों के लिए विशिष्ट जोखिम कारक
- ख. बीमा उद्योग का अवलोकन
- ग. वित्तीय विवरणों के खुलासे
- घ. बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दों की शब्दावली
- ङ. मामले के विवरण
- च. जारीकर्ता के विवरण
- छ. कानूनी व अन्य जानकारी

खुलासे के विवरण निम्नलिखित रूप से हैं:

**क. आवेदक कंपनी के लिए विशिष्ट जोखिम कारक**

प्रस्ताव दस्तावेज विस्तीर्णता से बीमा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में विशिष्ट जोखिम कारकों की सूची तय्यार करेगा:

1. बीमा जोखिम: सबसे अच्छे अनुमान के गलत आँकलन के कारण नये दवों की उत्पत्ती या और आवृत्ति में अनियमित उतार चढ़ावों के कारण, तथा दावों का आकार तथा और अन्य नकदी प्रवाह जोकि महासंकट से हुए नुकसान से संबंधित हों उनके जोखिम को भी आच्छादित किया जाएगा।
2. बाजार जोखिम: स्तर में परिवर्तनों के कारण या संपत्ति के मूल्यों में आए उतार चडाव, वाह्य बाजारों व वित्तीय कारकों के कारण देनदारियों और वित्तीय साधनों में उत्पन्न हुए जोखिम
3. ऋण जोखिम: प्रतिपक्ष या बाध्यताधारी के द्वारा की गई चूक के जोखिम, जिसमें पुनर्बीमा व वित्तीय व्युत्पन्नों के समान जोखिम को कम करने की चूक का जोखिम है।
4. चल निधि जोखिम: जोखिम है कि व्यापार संपत्ति को साकार या अन्यथा धन जुटाने के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कठिनाई मुठभेड़ जाएगा.
5. परिचालन संबंधी जोखिम: नुकसान का जोखिम जोकि अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न हुए हों।

6. पुनर्बीमा जोखिम: पुनर्बीमा व्यवस्थाओं कारण उत्पन्न हुए जोखिम, जिनमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण आरक्षित व पूँजी प्रभाव नीहित हैं तथा क्या प्रबंधन में जोखिम के सच्चे हस्तांतरण शामिल हैं।

कम से कम, जुड़े जोखिम, व्याख्यात्मक सूची को आवरण प्रदान करेगा जोकि प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाएँगे।

### ख. बीमा उद्योग का अवलोकन

बीमा उद्योग का अवलोकन संक्षेप में बीमा उद्योग की पृष्ठभूमि, वैश्विक और घरेलू बीमा पर्यावरण, उद्योग दृष्टिकोण, प्रवृत्तियों का विश्लेषण, क्षेत्र द्वारा धन का निवेश, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बिचौलियों, बीमा कानून में परिवर्तन, और कवर करेगा लागू कॉर्पोरेट निम्नलिखित पहलुओं पर शासन के दिशा निर्देशों प्रस्तुत विवरण के साथ अनुपालन की स्थिति:

1. परिचय
2. बीमा उद्योग के बारे में पृष्ठभूमि
  - 2.1. बीमा उद्योग का अवलोकन
  - 2.2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
3. वैश्विक बीमा पर्यावरण - वैश्विक और घरेलू परिदृश्य पर संक्षिप्त बीमा प्रवेश, घनत्व, उद्योग के विकास, आदि को आवरण
  - 3.1. वैश्विक बीमा पर्यावरण
  - 3.2. घरेलू बाजार अवलोकन
4. उद्योग दृष्टिकोण - साधारण बीम - जोखिमोंकन किया हुआ प्रीमियम
  - 4.1. बाजार अंश (% अंश)
  - 4.2. व्यापार का विकास
5. रुझान का विश्लेषण - साधारण बीमा
  - 5.1 जनरल इंश्योरेंस
    - 5.1.1 बढ़ा हुआ आवरण
    - 5.1.2 नए उत्पादों का परिचय
    - 5.1.3 प्रशुल्क और अप्रशुल्क उत्पाद
    - 5.1.4 पुनर्बीमा समर्थित उत्पाद
  - 5.2 स्वास्थ्य बीमा
    - 5.2.1 बढ़े हुए आवरण
    - 5.2.2 नए उत्पादों के परिचय
  - 5.3 पुनर्बीमा व्यापार
6. बीमा उद्योग द्वारा पूँजीयों का निवेश
  - 6.1. निवेश स्वरूप
7. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
8. मध्यवर्ती संस्थाएँ
  - 8.1. कमीशन संरचना
  - 8.2. साधारण बीमा उद्योग
9. बीमा कानून में परिवर्तन

- 9.1. बीमा कानून में परिवर्तन
- 9.2. विनियामक मुद्दे व परिवर्तन
- 9.3. उपभोक्ता संबंधी परिवर्तन
- 9.4. निरर्थक धारओं का निष्कासन
- 9.5. प्रवर्तन शक्तियों को बढ़ावा व अर्थदण्डों की उगाही
10. बीमा कंपनियों के लिए निगमित संचालन दिशानिर्देश
11. निष्कर्ष

### ग. वित्तीय विवरणों का खुलासा

बीमा उद्योग के लिए विशिष्ट खुलासे मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलुओं को आवरण प्रदान करेंगे:

1. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की अवधि आईसीडीआर विनियमों में उल्लेखित प्रकार से होगी जिनके प्रारूप समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किये जाएंगे।
2. अतिरिक्त खुलासे वित्तीय ब्यौरों के द्वारा किये जाएंगे:

- i. सकल प्रीमियम - भौगोलिक विभाजन के साथ
- ii. प्रतिकूल विक्रय
- iii. वितरण तंत्र
- iv. प्रवर्तन व्यय अनुपात
- v. निवेश प्रतिफल
- vi. इक्विटी और बांड के माध्यम से कुल राशि का 5% के प्रत्येक क्षेत्र में निवेश
- vii. पुनर्बीमा: पुनर्बीमाबीमा कंपनियों की संख्या विच्छेदन के साथ - घरेलू व विदेशी

- i. पुनर्बीमा कंपनियों का मूल्यांकन
- ii. पुनर्बीमा कंपनियों के साथ व्यवस्था का प्रकार:
  - i. संधि पुनर्बीमा

#### 1. आनुपातिक संधियाँ

- क. अनिवार्य और
- ख. अन्य

#### 2. गैर - आनुपातिक संधियाँ

- क. हानि की अधिकता
- ख. हानि विराम
- ग. अन्य कोई भी

- ii. वैकल्पिक पुनर्बीमा
- iii. अनिवार्य और

## iv. अन्य

## iii. पुनर्बीमा बकाया शेष - आयु के अनुसार

- viii. अधिकतम संभावित नुकसान अनुपात
  - ix. खर्च किये गये लेकिन रिपोर्ट नहीं किये गये (आईबीएनआर) / खर्च किये गये पर पर्याप्त मात्रा में रिपोर्ट नहीं किये गये (आईबीएनईआर)
  - x. पिछले पांच वर्षों के लिए बकाया दावे
  - xi. ब्याज दर संवेदनशीलता
  - xii. अचेतन लाभ / हानियों पर पहुंचने की विधि
  - xiii. ऋण शोधन क्षमता आवरण अनुपात
  - xiv. लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन पुष्टि कि देनदारियों की राशि आईआरडीए (एसेट्स देयताएं, और बीमा कंपनियों की ऋणशोधन क्षमता) विनियम, 2000 तथा देनदारियों की राशि उपयुक्त है व न्याय संगत है। लेखा परीक्षक यह भी प्रमाणित करते हैं कि देनदारियों की राशि में आईबीएनआर (और आईबीएनईआर) भंडार आरक्षित है जोकि नियुक्त बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया गया है;
  - xv. अनुभव का विवरण विश्लेषण; प्रीमियम की पर्याप्तता; आरक्षित रशियों की पर्याप्तता, सम्पत्ति देयता प्रबंधन; तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति जोकि गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिये आईआरडीए के परिपत्र सं आईआरडीए / एसीटीएल/ सीआईआर / मिस./081/05/2010 दिनांक 13 मई, 2010 में उल्लेखित है।
  - xvi. लेखा व अन्य अनुपात: बीमा उद्योग के लिए प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर निर्धारित विशेष संदर्भ के रूप में खुलासा किया जाएगा।
3. कंपनी के पॉलिसीधारक संरक्षण के विवरण तथा पिछले पांच वर्षों से लंबित पॉलिसीधारक की शिकायतों का विवरण है, जिसमें शिकायत निवारण और दावों की बढ़ती आयु तक ही सीमित नहीं है।
  4. कानूनी व अन्य सूचना: नियामक प्राधिकरण द्वारा बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत और रखी विनियमों तहत बनाए गए आवश्यकताओं के साथ अनुपालन।

## घ . परिभाषाएँ और संकेताक्षर:

कम से कम, के रूप में समय - समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के निदर्शी शब्दकोष जारीकर्ता और उद्योग से संबंधित शर्तोंका विवरण देने के प्रस्ताव दस्तावेज में शामिल किया जाएगा.

## ड. मामले का विवरण :

निम्नलिखित प्रकटीकरण अंक की वस्तुओं के बारे में किया जाएगा:

- क. शोधन क्षमता की आवश्यकता बढ़ाने के लिये;
- ख. सामान्य निगमित प्रयोजन; और / या
- ग. कोई अन्य उद्देश्य जिसका प्राधिकरण ने विशिष्ट अनुमोदन किया है.

658 97/13-4

**च. जारीकर्ता से संबंधित विवरण:**

निम्नलिखित अतिरिक्त खुलासे बीमा कंपनी के बारे में किये जाएंगे:

**1. निगमित प्रशासन:**

- इस प्रभाव को प्रकट करना कि बीमाकर्ता ने निगमित प्रशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है जोकि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये हैं जोकि उनसे अतिरिक्त हैं जोकि सूचिबद्ध करारों में पहले से ही नीहित हैं।
- बीमाकर्ता द्वारा स्थापित सभी समितियों के विवरण, जिसमें समिति सदस्यों के नाम और संदर्भ की शर्तों के एक सारांश है जिसके तहत संबंधित समिति संचालित की जाती है।

**2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक****3. प्रवर्तक****छ. कानूनी व अन्य जानकारी****अस्वीकरण धारा:**

घोषणा जिसमें यह संकेत दिया गया है कि बीमा कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए या किसी भी प्रस्तुत किये गये विवरण की परिशुद्धता के लिये या इस संबंध में व्यक्त किये गये मत के लिये बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) उत्तरदाई नहीं है।

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/12/असा.]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****NOTIFICATION**

Hyderabad, the 16th February, 2013

**Insurance Regulatory and Development Authority  
(Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013**

**F. No. IRDA/Reg./12/70/2013.**—*In exercise of powers conferred under section 14 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), read with sections 6AA and 114A of the Insurance Act, 1938, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-*

**1. Short title and commencement**

- i. These Regulations shall be called the IRDA (Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013
- ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions**

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- a. 'Act' means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- b. 'Applicant Company' means a General Insurance Company coming within the definition of Indian Insurance Company;
- c. 'Authority' means Insurance Regulatory and Development Authority established under Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;
- d. 'Application' means application submitted to the Authority under the IRDA (Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013;
- e. 'Corporate Governance Guidelines' means the guidelines issued by the Authority vide its Circular no. IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5<sup>th</sup> August, 2009 as amended and modified from time to time.;
- f. 'Date of commencement of business' means the date of grant of certificate of registration under IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations 2000;
- g. 'Excess Shareholding' means shareholding over and above the limits of shareholding prescribed under Section 6AA of the Insurance Act;
- h. 'Insurance company' means the 'Indian Insurance Company' as defined in Section 2(7)A of the Insurance Act 1938;
- i. 'SEBI' means the Securities and Exchange Board of India;
- j. 'ICDR Regulations' means the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended and modified from time to time;
- k. 'Key Managerial Personnel' shall include but not limited to the key persons as defined in IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000;
- l. 'Offer Document' means a document as defined under the ICDR Regulations;

- m. 'Promoter' of an applicant company means a promoter as defined under Regulation 2(m) of the IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011;
- n. 'Proposal' means the application filed by the applicant company with the Authority under Form 'A' attached to these Regulations for obtaining formal approval of the Authority.

All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.

### 3. Prior Written Approval by the Authority:

No general insurance company shall approach the SEBI for public issue of shares and for any subsequent issue, by whatsoever name called, under the ICDR Regulations without the specific previous written approval of the Authority accorded in the manner prescribed herein.

### 4. Manner and Procedure:

These Regulations shall be applicable to divestment of the excess shareholding by the promoters of the applicant company as prescribed in Section 6AA of the Act and/or to otherwise raise funds under the ICDR Regulations, *inter alia* through any of the following options:

- a. Issue of capital under ICDR Regulations; and
- b. Divestment of equity by one or more of the promoters through a public offer for sale under the ICDR Regulations.

The application for the approval of the Authority shall be filed in Form 'A' forming part of these Regulations.

**Provided** that no issuance and allotment of capital by an insurance company shall be in any form other than as fully paid up equity shares.

**Further provided** that any issue of capital other than as specified at (a) and (b) above, including any transfer of shares beyond the specified limits as laid down under section 6A(4)(ii)/(iii) of the Insurance Act, 1938 shall require the specific prior approval of the Authority. Such approvals shall be governed by the stipulations laid down by the Authority.

### 5. Approval of the Authority:

- (i) An applicant company proposing to raise share capital through a public issue in terms of these regulations may do so only on completion of 10 years from the date of commencement of business by the applicant company or such other period as may be prescribed by the Central Government.
- (ii) The approval granted by the Authority shall have a validity period of one year from the date of issue of the approval letter, within which the applicant company shall file the Draft Red Herring Prospectus (DRHP) with SEBI under the ICDR Regulations.
- (iii) Any approval by the Authority in terms of the Regulations herein, shall not in any manner be deemed to or serve as a validation of the representations by the applicant company in any offer document, which fact shall be disclosed in bold letters in any offer document.
- (iv) The Authority reserves the right not to accord its approval if, in its opinion, (i) the applicant company is not compliant with the regulatory framework; or (ii) where it may be detrimental to the interests of policyholders; or (iii) it may not be in the interest of the insurance business in the country.



**6. Criteria for consideration for approval:**

The Authority shall generally consider the applicant company's overall financial position; its regulatory record; the proposal for issue/offer of capital; the capital structure post issue/offer of capital; and the purposes to which the share capital proposed to be raised will be applied. In particular, the Authority shall consider the following parameters amongst others:

- (i) the period for which the applicant has been in the general insurance business;
- (ii) the history of compliance with the regulatory requirements by the applicant company;
- (iii) the maintenance of the prescribed regulatory solvency margin as at the end of the preceding six quarters commencing from the quarter immediately prior to the date of filing the application;
- (iv) compliance with the disclosure requirements mandated under IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated 28<sup>th</sup> January, 2010 as amended and modified from time to time;
- (v) compliance with the Corporate Governance Guidelines; and
- (vi) its record of policyholder protection.

**7. Conditions for approval**

While according its approval, the Authority may prescribe:

- (i) the extent to which the promoters shall dilute their respective shareholding;
- (ii) the maximum subscription which could be allotted to any class of foreign investors;
- (iii) minimum lock-in period for the promoters from the date of allotment of shares. The lock-in period shall be without prejudice to the requirements which may be in place under the ICDR Regulations; and
- (iv) the disclosures in the Prospectus/Offer document, in addition to such disclosures as may be prescribed by SEBI, which may include the disclosures as indicated at Annexure-1 to these Regulations.

**8. Timelines for approval by the Authority:**

The Authority shall process and grant approval on the application as expeditiously as possible, and the applicant company shall ensure prompt response to the queries and requests for information from the Authority for processing the application.

658 92713-5

**FORM A**

The Chairman  
Insurance Regulatory and Development Authority  
Parishram Bhavan  
3<sup>rd</sup> Floor,  
Basheer Bagh  
Hyderabad – 500 004

Dear Sir,

**Re.: Application for approval in terms of IRDA (Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013**

In terms of the IRDA (Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013, M/s..... (Registration No. .... dated .....) which has completed ..... years of operations, hereby applies to the Authority for issue of capital under the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations).

2. The details of the various eligibility parameters referred to under Regulation 6 of the Regulations are placed at Annexe along with the requisite enclosures as listed below:

- i)
- ii)
- iii)

On receipt of the approval from the Authority, the (insurance company).....shall file an offer document with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the ICDR Regulations within a period of one year and shall ensure compliance with the requirements under the said Regulations.

Place:

Yours faithfully

Date:

(Signature of the Chief Executive Officer)  
Designation

(Signature of the Chairman of the Board)  
Designation

**Annexe to the Application**

1. Name of the applicant Company:
2. No. and Date of Registration:
3. Renewal certificate issued on:
4. Number of years from the date of commencement of business:
5. Status of Compliance with the expenses of management requirements under the Insurance Act, 1938 and the Rules framed thereunder for the last five years:

Sl. No.	Financial year (last first)	Allowable Expenditure (₹ in crore)	Actual Expenditure (₹ in crore)	Compliance status
1				
2				
3				
4				
5				

6. Details of the net profit, paid up capital and networth of the insurer for the last five years:

Sl. No.	Financial Year (last first)	Net Profit/Loss (₹ in crore)	Paid up capital (₹ in crore)	Net worth (₹ in crore)
1				
2				
3				
4				
5				

7. Solvency Position for the quarter ended (for the last six quarters):

Sl. No.	Quarter ended (last first)	Solvency Position
1		
2		
3		
4		
5		
6		

8. Confirmation of Compliance with the Disclosure Requirements:  
M/s ..... hereby confirms that it is compliant with the disclosure requirements as mandated in the IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated 28<sup>th</sup> January, 2010 as amended and modified from time to time.  
(Details of deviations, if any, should be brought out).
9. Confirmation of Compliance with the Corporate Governance Guidelines:  
M/s ..... hereby confirms that it is compliant with the Corporate Governance Guidelines issued by IRDA vide Circular no. IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5<sup>th</sup> August, 2009.  
(Details of deviations, if any, should be brought out).
10. Details of regulatory action initiated by IRDA against the insurer for the last five years are as under:

11. Details of company's record of Policyholder Protection and the pendency of the policyholder complaints for the last five years:

GRIEVANCE DISPOSAL							
Sl. No.	Particulars	Opening Balance*	Additions	Complaints Resolved			Complaints Pending
				Fully Accepted	Partially Accepted	Rejected	
1	<b>Complaints made by customers</b>						
a)	Sales Related						
b)	Policy Administration Related						
c)	Insurance Policy Coverage Related						
d)	Claims Related						
e)	Others						
	<b>Total Number</b>						
2	<b>Duration wise Pending Status</b>		<b>Complaints made by customers</b>	<b>Complaints made by Intermediaries</b>		<b>Total</b>	
a)	Less than 15 days						
b)	Greater than 15 days						
	<b>Total Number</b>						

\*Opening balance should tally with the closing balance of the previous financial year.

12. The details of claims outstanding for the last five years:

#### CLAIMS OUTSTANDING\*

Sl. No	Particulars	Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Engineering	Motor OD	Motor TP	Health	Overseas Travel	Personal Accident	Liability Insurance	Crop Insurance	Credit	All Other Miscellaneous	Total
2	Claims intimated/Booked during the year														
3	Claims Settled during the year														
4	Claims Repudiated during the year														
5	<b>Claims O/S at end of year</b>														
	<b>Age wise details of outstanding claims</b>														
	Less than 1 month														
	1 month to 3 months														
	3 months and less than 6 months														
	6 months and less than 1 year														
	1 year and less than 3 years														
	3 years and less than 5 years														
	5 years and above														
	<b>Total</b>														

\*Note: Details to be furnished for both number of claims and amount outstanding (₹ in lakhs).

13. The details of the pre and post issue shareholding pattern are as under:

Sl. No.	Existing shareholding pattern				Proposed Offer for Sale/Issue		Proposed shareholding pattern		
	Name	Status (Indian/Foreign)	No. of shares held	Per cent held	No. of shares	Per cent	Status (Indian/Foreign)	No. of shares	Per cent
1.									
2.									
....									
....									
....									
....	Issue under ICDR Regulations								

14. The requisite extracts of the Board meeting held on ..... duly certified by the Chief Executive Officer approving the issuance of capital/offer for sale as proposed by the applicant company.

It is hereby confirmed that the information furnished in Form A along with attachments therewith is correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Place:

Yours faithfully

Date:

(Signature of the Chief Executive Officer)  
Designation

(Signature of the Chairman of the Board)  
Designation

658 97/13-6

**Annexure I****Disclosure Requirements for Applicant General Insurance Company**

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has laid down the framework for issue of capital and disclosure requirements in the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations). Part 'A' of Schedule VIII of the ICDR Regulations lays down the disclosure requirements in the Draft Red Herring Prospectus, Red Herring Prospectus, Shelf Prospectus and Prospectus.

An applicant company seeking to issue capital/ make an Offer for Sale under these Regulations shall make the following disclosures in the offer document. These disclosures shall be in addition to the prescriptions laid down by SEBI in the ICDR Regulations and shall not be seen in derogation of the requirements prescribed by SEBI:

- a. Risk factors specific to the insurance companies
- b. Overview of the insurance industry
- c. Disclosure of Financial Statements
- d. Glossary of terms used in the insurance sector
- e. Particulars of the Issue
- f. Particulars about the Issuer
- g. Legal and other Information.

The details of disclosures are as indicated below:

**a. Risk factors specific to the applicant company**

The Offer Document shall list out the risk factors specific to the insurance sector, to be broadly segregated into the following categories:

1. **Insurance Risk:** Risk arising because of inaccurate estimation of the best estimate or because of random fluctuations in the frequency and size of the claims and other cash flows. Risks relating to Catastrophic losses shall also be covered.
2. **Market Risk:** Risk arising out of variations in the level or volatility of the market prices of assets, liabilities and financial instruments due to external market and economic factors.
3. **Credit Risk:** Risk of default of a counterparty or obligor, including the risk of default relating to risk mitigating contracts like reinsurance and financial derivatives.
4. **Liquidity Risk:** The risk that the business will encounter difficulty in realizing assets or otherwise raising funds to meet commitments.
5. **Operational Risk:** The risk of loss, resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events.
6. **Reinsurance risk:** Risk arising out of the reinsurance arrangements, including any significant reserve and capital impact; and whether the arrangement involves true transfer of risk.

At the minimum, the associated risks shall cover the illustrative list as prescribed by the Authority from time to time.

**b. Overview of the insurance industry**

The overview of the insurance industry shall briefly cover the background of the insurance industry, the global and domestic insurance environment, industry outlook, analysis of trends, investment of funds by the sector, FDI in Insurance Sector, Intermediaries, changes in Insurance Legislation, and compliance status with the applicable Corporate Governance Guidelines furnishing particulars on the following aspects:

1. Introduction
2. Background about Insurance Industry
  - 2.1. Overview of the Insurance Industry
  - 2.2. Insurance Regulatory and Development Authority

3. Global Insurance Environment: A brief on global and domestic scenario covering Insurance Penetration, Density, growth of Industry, etc.
  - 3.1. Global Insurance Environment
  - 3.2. Domestic Market Overview
4. Industry Outlook - General Insurance - Premium Underwritten
  - 4.1. Market Share (% share)
  - 4.2. Growth of Business
5. Analysis of Trends – General Insurance
  - 5.1 General Insurance
    - 5.1.1 Enlarged Coverage
    - 5.1.2 Introduction of New Products
    - 5.1.3 Tariffed and non-tariffed products
    - 5.1.4 Reinsurance Supported Products
  - 5.2 Health insurance
    - 5.2.1 Enlarged Coverage
    - 5.2.2 Introduction of New Products
  - 5.3 Reinsurance Business
6. Investment of Funds by the Insurance Industry
  - 6.1. Investment Pattern
7. FDI in Insurance Sector
8. Intermediaries
  - 8.1. Commission Structure
  - 8.2. General Insurance Industry
9. Changes in Insurance Legislation
  - 9.1. Changes in Insurance Legislation
  - 9.2. Regulatory Issues and Changes
  - 9.3. Consumer Related Changes
  - 9.4. Removal of Redundant Clauses
  - 9.5. Enhancement of Enforcement Powers and Levy of Penalties
10. Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies
11. Conclusion

**c. Disclosure of Financial Statements**

Disclosures specific to the insurance industry would broadly cover the following aspects:

1. Presentation of the financial statements: The presentation of financial statements shall be made for the period as specified in the ICDR Regulations as per the formats prescribed by the Authority from time to time.
2. Additional disclosures shall be made to the financial statements:
  - i. Gross premium - along with Geographic segmentation
  - ii. Cross selling
  - iii. Distribution network
  - iv. Operating expense ratio
  - v. Investment yield
  - vi. Investment of above 5% of total Funds in each sector through equity and bonds
  - vii. Reinsurance: Number of re-insurers with break-up domestic and foreign
    - I. Ratings of re-insurers
    - II. Type of arrangement with Reinsurers:
      - i. Treaty Reinsurance-
        1. Proportional treaties
          - a. Obligatory and
          - b. Others
        2. Non-proportional Treaties
          - a. Excess of Loss
          - b. Stop Loss
          - c. Any other

- ii. Facultative Reinsurance
  - iii. Obligatory and
  - iv. Others
- III. Reinsurance balances outstanding - age-wise
- viii. Maximum Probable Loss Ratio
  - ix. Incurred but not reported (IBNR) /Incurred but not enough reported (IBNER)
  - x. Claims outstanding for the last five years
  - xi. Interest rate sensitivity
  - xii. Manner of arriving at unrealized gain/losses
  - xiii. Solvency Coverage ratio
  - xiv. Certification by the Auditor confirming that the amount of liabilities has been determined in the manner prescribed in the IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 and the amount of liabilities are fair and reasonable. The Auditor shall also certify that the amount of liabilities includes the IBNR (and the IBNER) reserves which have been determined by the appointed actuary;
  - xv. Details of Experience analysis; Adequacy of premiums; adequacy of reserves; Asset Liability Management; and Current Financial Condition as required to be disclosed under the Financial Condition Report for non-life insurance companies stipulated vide IRDA's Circular No. IRDA/ACTL/CIR/Misc./081/05/2010 dated 13<sup>th</sup> May, 2010.
  - xvi. Accounting and other ratios: The ratios with specific reference to the insurance industry as prescribed by the Authority from time to time shall be disclosed.
3. Details of company's record of Policyholder Protection and the pendency of the policyholder complaints for the last five years, including but not limited to grievance redressal and ageing of claims.
4. Legal and other Information: Compliance with the regulatory requirements laid down by the Authority under the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and the regulations framed thereunder.
- d. **Definitions and Abbreviations (Glossary):**  
At the minimum, the illustrative glossary of terms as prescribed by the Authority from time to time shall be included in the Offer Document giving details of the Issuer and industry related terms.
- e. **Particulars of the Issue:**  
The following disclosures shall be made about the objects of the Issue:
- a. to augment the solvency requirement;
  - b. general corporate purposes; and/or
  - c. any other purpose which has the specific approval of the Authority.
- f. **Particulars about the Issuer:**  
The following additional disclosures shall be made about the insurance company:
1. Corporate Governance:
    - Disclosure to the effect that the insurer has complied with the requirements of Corporate Governance as laid down by the Authority in addition to those contained in the Listing Agreement.
    - Details of all Committees set up by the issuer, including the names of committee members and a summary of the terms of reference under which the respective committee operates.
  2. Key Managerial Personnel
  3. Promoters
- g. **Legal and Other Information**  
**Disclaimer clause:**  
*The declaration indicating that Insurance Regulatory and Development Authority ("IRDA") does not undertake any responsibility for the financial soundness of the insurance company or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.*

\*\*\*

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/12/Exty.]